

6/6/18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बंध
की स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली दिनांक 6/6/18

के स्थान पर दिनांक 23.6.18 को सहायक लोक
अदालत बंध स्थान बाबरवाली के

में प्रस्तुत हों, तदनुसार सभी पक्षकारण मुक्ति हों।

सहायक कलेक्टर (SDO), बाबरवाली

23.6.18

पत्रावली द्वारा राजस्थान लोक अदालत अधिनियम
1987 के अंतर्गत बाबरवाली में पेश

भारत गैर/डा।

हुई। वकील एवं प्रतिवादी सं. 1, 2, 5, 11 उपरो

६ गुणानाम

उपरोक्त पक्षकारण के शर्तियों में विशेष कर

निवेदन किया कि उपर्युक्त वाद में हमने लेख

अदालत की शर्तों से शर्तियों में कर

पक्ष

लिखा है। अतः इन वाद को विशेष कर

वादा में आगामी कार्रवाई इसी स्तर पर

पक्ष

समाप्त की जाती है। पत्रावली के सप्त शुभ

द्वारा दृष्टिगत उपर्युक्त है।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाबरवाली



गौरवान